उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव– 2007
महिला घोषणा पत्र

उत्तर प्रदेश के राजनैतिक दलों से जुड़ी महिलाओं, महिला आन्दोलनकारी, मीडिया की महिलाओं तथा कई जनपदों की ग्रामीण व शहरी महिलाओं ने आगामी चुनाव के लिए एक प्रादेशिक समन्वय का गठन किया है। इसके द्वारा सभी राजनैतिक दलों के 2004 के घोषणा पत्रों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है, जिसमें महिला अधिकारों पर बहुत कम घोषणाएं मिली। अतः प्रादेशिक समन्वय की महिलाओं ने एक 'महिला घोषणा पत्र' प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। प्रादेशिक समन्वय सभी राजनीतिक दलों से मांग करती हैं कि वे निम्न मुद्दों को आगामी उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में प्राथमिकता दें–

महिला व राजनैतिक अधिकार

ह्न संसद में 33 प्रशिशत आरक्षण का समर्थन करें।
ह्न पंचायत की सीटों में जीतकर आयी महिलाओं के सारे निर्णय पुरूषों द्वारा ही लिये जाते हैं, इसके खिलाफ सख़्त कदम उठाया जाय।
ह्न प्रत्येक पार्टी अपने महिला उम्मीदवारो की संख्या बढ़ाने का प्रयास करे।
ह्न जेण्डर बजटिंग की परिकल्पना को उसके मूल रूप में लागू करें। साथ ही इस बजट आबंटन से निकले परिणाम का महिलाओं की स्थिति पर असर का स्पष्ट आकंलन किया जाय।

साम्प्रदायिकता

हमारा मानना है कि साम्प्रदायिक पार्टीयों को महिला संगठन व महिला समर्थन नही देगें क्योंकि साम्प्रदायिकता व साम्प्रदायिक ताकतें नारी मुक्ति के रास्ते में बाधा है।

महिला व आर्थिक अधिकार

ह्न राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी एक्ट को शीघ्रता से लागू किया जाय। इसमें महिलाओं के लिए दिये गये आरक्षण को क्रियान्वित कर महिलाओं को काम देने के लिए योजना बनाने पर ज़ोर दिया जाय और उन्हें निर्धारित मजदूरी सुनिश्चित की जाय।
ह्न किसान महिलाओं की मज़दूरी भी सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी के बराबर ही दिलायी जाय।
ह्न राशनकार्ड महिलाओं के नाम से बनाये जायें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में संशोधन किया जाय और किसी भी हालत में इसका निजीकरण न हो।
ह्न असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों हेतु विधेयक लाया जाय जिसमें महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय और संगठित क्षेत्र की तरह सभी सुविधाओं का प्रावधान हो।
ह्न घरेलू उद्योग एवं उत्पादन में महिलाओं को एक श्रमिक के रूप में पहचान मिले। उदाहरण के लिए जैसे – चिकनकारी, बीड़ी आदि बनाने वाली महिलाओं को भी असंगठित क्षेत्र की महिलाओं में शामिल किया जाय।
ह्न ग़रीबी रेखा निर्धारण की समीक्षा की जाय, एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी लोगों को गरीबी रेखा कार्ड आबंटित किये जायें और आबंटन में निगरानी की जाय।
ह्नदलित, मुस्लिम और बेसहारा महिलाओं को आर्थिक कार्यक्रमों से ज्यादा जोड़ा जाए।

महिलाओं पर हिंसा

ह्न जिन लोगों पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार, हत्या, उत्पीड़न आदि के केस है, उन्हें चुनावी टिकट न दिया जाय।
ह्न दलित महिलाओं के सभी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक लाया जाय। अनुसूचित जाति जनजाति क़ानून को सक्रियता से लागू कराया जाय।
ह्न घरेलू हिंसा कानून को लागू करने की पूरी व्यवस्था शीघ्र की जाय। प्रोटेक्शन अधिकारी की नियुक्ति अतिशीघ्र हो और लोगों तक इसकी पूरी जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था की जाय।
ह्न कार्यक्षेत्र में होने वाली यौनिक हिंसा पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को शीघ्रता से लागू किया जाय।
ह्न उत्तर प्रदेश में समय–समय पर होने वाले साम्प्रदायिक दंगों में महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जाता रहा है अतः महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रखने के प्रावधान किये जाये।
ह्न हर जनपद में महिलाओं के लिए आश्रय –गृह की स्थापना की जाय।
ह्न महिलाओं के लिए विशेष आवास नीति हो जैसे विशेष हास्टल, वृद्धावस्था गृह, सम्पत्ति का संयुक्त पंजीकरण, आवास योजनाओं में कोटा आदि
ह्न महिलाओं के लिए हर जगह सार्वजनिक शौचालाय उपलबध हो ।

महिला स्वास्थ्य

ह्न उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिवर्ष 40,000 महिलाएं सिर्फ मातृत्व के कारणों से मरती हैं। इसे रोकने के लिए सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर सभी आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें।

ह्न इसमें दलित महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हों। स्वास्थ्य केन्द्रों पर भ्रष्टाचार को बढावा दे रहे सेवा प्रदायकों के खिलाफ सख़्त कारवाई की जाय।

ह्न राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को शीघ्रता से मूल रूप में कियान्वित कराया जाय और इसके परिणाम से महिलाओं पर असर का आंकलन किया जाय।

ह्न आंगनबाडी स्कीम को सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार हर गांव हर शहर में लागू कराया जाय एंव उनके लिए आंवाटित धनराशि को बढ़ाया जाय महिलाओं व किशोरियों के सेहत व पोषाण की धनराशि बढायी जाय। दलित व मुस्लिम बस्तियों को वरीयता दी जाय।

ह्न समाज में पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों की संख्या तेजी से घट रही है। पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत ग़ैरक़ानूनी काम कर रहे अल्ट्रासाउन्ड केन्द्रों पर नियंत्रण किया जाय और उनके रजिस्टेशन रद्द करके आपराधिक मुकदमे दर्ज किया जायें।

ह्न मोहल्लों, गांवों व शहरी बस्तियों में स्वास्थ्य व स्वच्छता हेतु सभी आवश्यक बुनियादी सेवाएं जैसे पानी, बिजली, शौचालय उपलब्ध कराया जायें।

महिला व शिक्षा का अधिकार

ह्न बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए छात्रवृत्ति के प्रावधान किये जाये।

ह्न तीन किलोमीटर के अन्दर राजकीय माध्यमिक स्कूलों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। बालिकाओं के लिए उत्तम गुणवत्ता शिक्षा का प्रावधान हो।

ह्न स्कूलों में शौचालयों तथा महिला शिक्षिकाओं की व्यवस्था के प्रावधान किये जायें।

ह्न इन्टर पास लड़कियों के लिए तकनीकि व व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध मजबूत कराया जाय।

अल्पसंख्यक महिलायें और अधिकार

ह्न अल्पसंख्यक महिलाओं की सुरक्षा हेतु विशेष क़ानून बनाया जाय।

ह्न सच्चर कमेटी के आधार पर मुसलमानों के विकास के लिए 15 प्रतिशत संसाधनों की योजना बननी चाहिए और इसमें मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं के निदान को प्राथमिकता दी जाय। सच्चर कमेटी द्वारा दी गयी संस्तुतियों को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाया जाय।

ह्न मुस्लिम लडकियों के लिए अधिक आवासीय स्कूल खोले जायें और उनकी शिक्षा निःशुल्क की जाय।

ह्न मदरसों के पंजीकरण को प्रोत्साहित किया जाय। पंजीकृत मदरसों में सरकार पूरी मदद दे, उनका आधुनिकिकरण हो, उनमें पढने वाले बच्चों को पूरी सुरक्षा दिया जाय।

ह्न समानान्तर शरीयत न्यायालय बनाने की प्रक्रिया को रोक दिया जाय व उसे संवैधानिक स्वीकृति न दी जाय।

ह्न संविधान में दिये गये सभी अधिकार मुस्लिम महिलाओं को दिये जायें।

ढ्ढ एपवा,
ढ्ढ सी ई आर टी,
ढ्ढ स्त्री अधिकार संगठन,
ढ्ढ इब्तदा संस्थान,
ढ्ढ डग,
ढ्ढ सार्क,
ढ्ढ तहरीक,
ढ्ढ वनांगना,
ढ्ढ तहरीक ए निसंवा,
ढ्ढ पी जी एस एस
ढ्ढ हमसफर,
ढ्ढ आली,
ढ्ढ सहयोग,
ढ्ढ लक्ष्मी,
ढ्ढ एआईएमडब्लूपीएलबी,
ढ्ढ अर्थ,
ढ्ढ आगाज–ए–इंसाफ,
ढ्ढ सावित्री बाई फुले दलित महिला संघर्ष मोर्चा,
ढ्ढ जनान्दोलनों का राष्टीय समन्वय